

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 685]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 दिसम्बर 2017—पौष 1, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

क्र. 19989-285-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३१ सन् २०१७

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-४) अधिनियम, २०१७

[दिनांक २१ दिसम्बर, २०१७ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २२ दिसम्बर, २०१७ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

वित्तीय वर्ष २०१७-२०१८ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-४) अधिनियम, २०१७ है.

वित्तीय वर्ष २०१७-१८ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये १,५५,५६,८९,०२,३९९ का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये पन्द्रह हजार पांच सौ छप्पन करोड़ नवासी लाख दो हजार तीन सौ नित्यानवे होता है, उन विभिन्न प्रभागों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०१७-२०१८ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिये प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिये विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिये)

(आंकड़े रुपयों में)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		विधान सभा द्वारा मतदत्त रुपये	संचित निधि पर भारित रुपये	योग रुपये
०१.	सामान्य प्रशासन	राजस्व ७१,६३,००,००० पूंजी २१,१५,१५,४३३	० ०	७१,६३,००,००० २१,१५,१५,४३३
०२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व ३,६१,००,०००	०	३,६१,००,०००
०३.	पुलिस	राजस्व १,६१,३३,५९,०००	०	१,६१,३३,५९,०००
०४.	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व १,८३,४५,०००	०	१,८३,४५,०००
०८.	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व ३,३७,५०,०००	९१,९०६	३,३८,४१,९०६

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
१०.	वन	राजस्व	५,००,००,०००	०	५,००,००,०००
११.	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	राजस्व	१,०१,००,००,०००	०	१,०१,००,००,०००
१२.	ऊर्जा	राजस्व	१५,००,००,०००	०	१५,००,००,०००
		पूंजी	१४,०९,१६,००,३००	०	१४,०९,१६,००,३००
१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व	४०,००,००,००,१००	०	४०,००,००,००,१००
१८.	श्रम	राजस्व	२,३४,५०,२००	०	२,३४,५०,२००
१९.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	२५,००,०१,६००	०	२५,००,०१,६००
२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	१००	०	१००
२२.	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	राजस्व	१०,४९,००,००,२००	०	१०,४९,००,००,२००
		पूंजी	२००	०	२००
२३.	जल संसाधन	पूंजी	३,७००	०	३,७००
२४.	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूंजी	६,५०,००,००,८००	०	६,५०,००,००,८००
२५.	खनिज साधन	राजस्व	१००	०	१००
		पूंजी	१००	०	१००
२६.	संस्कृति	राजस्व	२४,०३,००,२००	०	२४,०३,००,२००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
२७.	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	पूंजी	२९,००,००,०००	०	२९,००,००,०००
२८.	राज्य विधान मंडल	राजस्व	२१,००,०००	०	२१,००,०००
२९.	विधि और विधायी कार्य	राजस्व	१,१६,५०,९००	६,७१,४६,५६०	७,८७,९७,४६०
३०.	ग्रामीण विकास	राजस्व	१,३२,००,०१,०००	०	१,३२,००,०१,०००
		पूंजी	१,००,००,००,०००	०	१,००,००,००,०००
३१.	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	राजस्व	१२,४७,६७,१००	०	१२,४७,६७,१००
३२.	जनसंपर्क	राजस्व	७५,००,००,०००	०	७५,००,००,०००
३३.	आदिम जाति कल्याण	राजस्व	१,००,९४,४७,०००	०	१,००,९४,४७,०००
		पूंजी	६,०७,२७,५६,१००	०	६,०७,२७,५६,१००
३५.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	पूंजी	१०,५०,००,०००	०	१०,५०,००,०००
३६.	परिवहन	राजस्व	१००	०	१००
३७.	पर्यटन	पूंजी	१३,५५,८७,०००	०	१३,५५,८७,०००
३८.	आयुष	राजस्व	३००	०	३००
३९.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	राजस्व	१९,५५,००,०००	०	१९,५५,००,०००
४०.	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	राजस्व	१००	०	१००
		पूंजी	१५,००,००,१००	०	१५,००,००,१००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
४२.	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	राजस्व	६००	०	६००
४५.	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	पूंजी	४,५००	०	४,५००
४७.	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	राजस्व	६,१५,४६,०००	०	६,१५,४६,०००
		पूंजी	१६,८५,७०,१००	०	१६,८५,७०,१००
४८.	नर्मदा घाटी विकास	राजस्व	१६,२५,००,०००	०	१६,२५,००,०००
		पूंजी	१,१०,००,००,५००	०	१,१०,००,००,५००
५०.	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राजस्व	१,६०,००,००,०००	०	१,६०,००,००,०००
५२.	चिकित्सा शिक्षा	राजस्व	३,००,००,३००	०	३,००,००,३००
		पूंजी	३६,५०,०१,१००	०	३६,५०,०१,१००
५३.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	५१,६३,६९,०४,०००	०	५१,६३,६९,०४,०००
५५.	महिला एवं बाल विकास	राजस्व	५४,०६,००,०००	०	५४,०६,००,०००
५६.	ग्रामोद्योग	राजस्व	१००	०	१००
५८.	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राजस्व	१३,००,००,००,०००	०	१३,००,००,००,०००
६०.	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	राजस्व	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
६५. विमानन	राजस्व	१३,५०,००,०००	०	१३,५०,००,०००
	योग :			
	{ राजस्व :	१,२५,३१,१६,२४,०००	६,७२,३८,४६६	१,२५,३७,८८,६२,४६६
	{ पूंजी :	३०,१९,००,३९,९३३	०	३०,१९,००,३९,९३३
	वृहद-योग :	१,५५,५०,१६,६३,९३३	६,७२,३८,४६६	१,५५,५६,८९,०२,३९९

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

क्र. 19989-285-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 4) अधिनियम, 2017 (क्रमांक 31 सन् 2017) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 31 OF 2017

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (No. 4) ACT, 2017.

[Received the assent of the Governor on the 21st December, 2017; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 22nd December, 2017].

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the Financial Year 2017-2018.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-Eighth year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No.-4) Act, 2017.

Issue of Rs. 1,55,56,89,02,399 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2017-2018.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of rupees Fifteen thousand five hundred fifty-six crore eighty nine lakh two thousand three hundred ninety nine only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the Financial Year 2017-2018 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year. Appropriation.

THE SCHEDULE

(See Sections 2 and 3)

(1) No. of Vote	(2) Services and purposes	(3) Sums not exceeding			
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total	
		Rs.	Rs.	Rs.	
01.	General Administration	Revenue	71,63,00,000	0	71,63,00,000
		Capital	21,15,15,433	0	21,15,15,433
02.	Other expenditure pertaining to General Administration Department	Revenue	3,61,00,000	0	3,61,00,000
03.	Police	Revenue	1,61,33,59,000	0	1,61,33,59,000
04.	Other expenditure pertaining to Home Department	Revenue	1,83,45,000	0	1,83,45,000
08.	Land Revenue and District Administration	Revenue	3,37,50,000	91,906	3,38,41,906
10.	Forest	Revenue	5,00,00,000	0	5,00,00,000
11.	Commerce, Industry and Employment	Revenue	1,01,00,00,000	0	1,01,00,00,000
12.	Energy	Revenue	15,00,00,000	0	15,00,00,000
		Capital	14,09,16,00,300	0	14,09,16,00,300
13.	Formers Welfare and Agriculture Development	Revenue	40,00,00,00,100	0	40,00,00,00,100
18.	Labour	Revenue	2,34,50,200	0	2,34,50,200
19.	Public Health and Family Welfare	Revenue	25,00,01,600	0	25,00,01,600

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
20.	Public Health Engineering	Revenue	100	0	100
22.	Urban Development and Environment	Revenue	10,49,00,00,200	0	10,49,00,00,200
		Capital	200	0	200
23.	Water Resources Department	Capital	3,700	0	3,700
24.	Public Works-Roads and Bridges	Capital	6,50,00,00,800	0	6,50,00,00,800
25.	Mineral Resources	Revenue	100	0	100
		Capital	100	0	100
26.	Culture	Revenue	24,03,00,200	0	24,03,00,200
27.	School Education (Primary Education)	Capital	29,00,00,000	0	29,00,00,000
28.	State Legislature	Revenue	21,00,000	0	21,00,000
29.	Law and Legislative Affairs	Revenue	1,16,50,900	6,71,46,560	7,87,97,460
30.	Rural Development	Revenue	1,32,00,01,000	0	1,32,00,01,000
		Capital	1,00,00,00,000	0	1,00,00,00,000
31.	Planning Economics and Statistics	Revenue	12,47,67,100	0	12,47,67,100
32.	Public Relations	Revenue	75,00,00,000	0	75,00,00,000
33.	Tribal Welfare	Revenue	1,00,94,47,000	0	1,00,94,47,000
		Capital	6,07,27,56,100	0	6,07,27,56,100
35.	Micro, Small & Medium Enterprises	Capital	10,50,00,000	0	10,50,00,000

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
36.	Transport	Revenue	100	0	100
37.	Tourism	Capital	13,55,87,000	0	13,55,87,000
38.	Ayoush	Revenue	300	0	300
39.	Food, Civil Supplies and Consumer Protection	Revenue	19,55,00,000	0	19,55,00,000
40.	Other expenditure pertaining to School Education Department (excluding Primary Education)	Revenue	100	0	100
		Capital	15,00,00,100	0	15,00,00,100
42.	Bhopal Gas Tragedy Relief and Rehabilitation	Revenue	600	0	600
45.	Minor Irrigation Works	Capital	4,500	0	4,500
47.	Technical Education and Skill Development	Revenue	6,15,46,000	0	6,15,46,000
		Capital	16,85,70,100	0	16,85,70,100
48.	Narmada Valley Development	Revenue	16,25,00,000	0	16,25,00,000
		Capital	1,10,00,00,500	0	1,10,00,00,500
50.	Horticulture and Food Processing	Revenue	1,60,00,00,000	0	1,60,00,00,000
52.	Medical Education Department	Revenue	3,00,00,300	0	3,00,00,300
		Capital	36,50,01,100	0	36,50,01,100
53.	Financial assistance to Three Tier Panchayati Raj Institutions	Revenue	51,63,69,04,000	0	51,63,69,04,000

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
55.	Women and Child Development	Revenue	54,06,00,000	0	54,06,00,000
56.	Rural Industry	Revenue	100	0	100
58.	Expenditure on Relief on account of Natural Calamities and Scarcity	Revenue	13,00,00,00,000	0	13,00,00,00,000
60.	Expenditure pertaining to District Plan Schemes	Revenue	10,00,00,000	0	10,00,00,000
65.	Aviation	Revenue	13,50,00,000	0	13,50,00,000
Total	..	Revenue ..	1,25,31,16,24,000	6,72,38,466	1,25,37,88,62,466
		Capital ..	30,19,00,39,933	0	30,19,00,39,933
Grand Total ..			1,55,50,16,63,933	6,72,38,466	1,55,56,89,02,399